FORM NO.3

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत.....मुकाम.....

.....बनाम.....

किस्म मुकदमा.....न. .....सन्.....

8.5.18	प्रार्थना अरब क्षेत्र केन्द्र श्रेणगढ़ के ली गई। संज्ञेय के प्रकरण के तथ्य इस प्रकार ग्राम अरबद की जमाबंदी सं. 2061-72 के खाता सं. नया ;पुराना 77-61 खसरा नं. 451 रकबा 2-01-00 बीघा तथा खाता सं. 133-65 ख. नं. 773/1 रकबा 10-00-00 बीघा है वर्तमान के यह आराजी अभार्थी सं. 2 व 3 के पिता व पति श्रीमती के नाम दर्ज है, 1/5 हिस्सा दर्ज है, तथा वादी सं. 3 के नाम 1/2 हिस्सा दर्ज है। अतः प्रार्थी के अस्थाई निषेधाज्ञा के पालन कराने का निवेदन प्रार्थी वकील ने किया। प्रतिवादी अभार्थी सं. 1 व 4 की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया।

अभार्थीगण की ओर से प्रस्तुत जवाब में बताया गया है वादग्रस्त आराजी से वादीगण प्रार्थीगण को कोई हक अधिकार नहीं है। अतः प्रार्थीगण अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के हक दार नहीं है।

मैंने वकील पक्षकार प्रार्थी को सुना- प्रार्थना में उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन किया है। ग्राम अरबद की प्रार्थना पत्र के संबंध आराजीयात पर भौतिक व रिकार्ड की यथास्थिति बनायी रखी जावे। हक अधिकार का निर्धारण मूल वाद से तय होगा। यह प्रार्थना पत्र हक अधिकार का निर्णायक नहीं है। हक अधिकार का प्रश्न मूल वाद से तय होगा। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करे।

आदेश मजमूं आम से सुनाया गया।

सदस्य
लोक अदालत शिविर
सरवाड़ (अजमेर)

अध्यक्ष
लोक अदालत शिविर
सरवाड़ (अजमेर)

Scanned by CamScanner